आदेश

झारखण्ड पुलिस के सभी जिला/वाहिनी/ईकाई(आई0आर0बी0 को छोड़कर) में उपलब्ध अप्रशिक्षित आरक्षियों(पुरूष एवं महिला) जो अभी तक आरक्षी बुनियादी प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किये है वैसे सभी आरक्षियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये **दिनांक 03.01.2016 को झा0स0पु0–05, देवघर** में योगदान कराने का आदेश दिया जाता है।

2– जिला/वाहिनी/ईकाई(आई0आर0बी0 को छोड़कर) के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा को निर्देश दिया जाता है कि अपने–अपने जिला/वाहिनी/ईकाई में **दिनांक 31.12.2015** तक सीधे नियुक्त या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त बुनियादी प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किये सभी आरक्षियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु **दिनांक 03.01.2016 को झा0स0पु0–05, देवघर** में मूल पहचान पत्र, वस्त्रादि इत्यादि के साथ योगदान कराना सुनिश्चित किया जाय। **साथ ही आपके जिला/वाहिनी/ईकाई में इसके पश्चात् कोई भी आरक्षी बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये शेष नहीं हैं उसका प्रमाण–पत्र परिचारी प्रवर/रक्षित पदा0 के स्तर से प्राप्त कर उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।**

3– उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आरक्षियों को बुनियादी प्रशिक्षण के लिये विरमित करने के पूर्व निम्नांकित अभिलेख, सामग्री के साथ विरमित किया जायः–

(क) पहचान पत्र ।

(ख) चिकित्सा प्रमाण–पत्र (इस कार्यालय के पत्रांक 877/प्रशि0, दिनांक 29.10.2004 में उल्लेखित 14 बिमारी नहीं होने का प्रमाण पत्र के साथ)।

(ग) शैक्षणिक/निवास प्रमाण–पत्र का जाँच पूरा करा लिये जाने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में भेजा जा रहा है का घोषणा पत्र।

(घ) वस्त्रादि– दो सेट, बेडिंग, आवश्यकतानुसार प्राईवेट कपड़ा इत्यादि।

(ङ) बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्य पुस्तिका। यह पुस्तक अस्सी रूपये की दर से प्रशिक्षुओं से भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण निदेशालय से प्राप्त कर प्रशिक्षुओं के साथ भेजा जाय)।

(च) चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के ज्ञापांक 168/एन0जी0ओ0 दिनांक 01.02.2012 में दिये गये निर्देश का अनुपालन कराया जाय।

(ज) प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने वाले पुलिसों का सेवापुस्तिका अद्यतन कर प्रशिक्षण केन्द्र को एक माह के अंदर उपलब्ध करायी जाय।

अतः समादेष्टा, झा0स0पु0–05, देवघर को निर्देश दिया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु योगदान देने वाले सभी आरक्षियों को इस कार्यालय के ज्ञापांक 877/प्रशि0, दिनांक 29.10.04 में वर्णित बिमारी की जाँच कराकर ही अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिये रखा जाय तथा अंतिम रूप से योगदान दिये आरक्षियों का प्रशिक्षण **दिनांक 04.01.2016 से** प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाय। इस प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से योगदान दिये आरक्षियों की सूची जिला वार नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, नियुक्ति का स्रोत, गृह जिला का नाम सहित से **दिनांक 15.01.2016** तक उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार।

पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण),
झारखण्ड, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक 1904 /प्रशि0

प्र0–05 01–03/2013

प्रशिक्षण निदेशालय, झारखण्ड पुलिस, राँची

(फैक्स सं0–0651–2400728)

राँची, दिनांक 08/12/2015

प्रतिलिपि:

1. अपर पुलिस महानिदेशक, झा0स0पु0/अप0अनु0वि0/विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, राँची/बोकारो/पलामू/दुमका/भ्रष्टाचार ब्यूरो/प्रोविजन/अभियान/ मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस उप–महानिरीक्षक, राँची/चाईबासा/पलामू/बोकारो/दुमका/हजारीबाग/एस0टी0एफ0/झा0स0पु0/रेलवे/कार्मिक/अप0अनु0वि0/विशेष शाखा, राँची झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त निदेशक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी पुलिस अधीक्षक, (रेलवे/पदमा/जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट/विशेष शाखा/अप0अनु0वि0/एस0सी0आर0बी0/भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो सहित) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. सभी समादेष्टा, (भ0बटा0 सहित/आई0आर0बटा0 को छोड़कर) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. प्राचार्य, टी0टी0एस0, जमशेदपुर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण),
झारखण्ड, राँची।